



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1942 (श0)
(सं0 पटना 111) पटना वृहस्पतिवार 11 फरवरी 2021

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2020

जी0एस0आर0 02 दिनांक 11 फरवरी 2021—चूँकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम-7-1980) की धारा-9 के अधीन "सलाहकार बोर्ड" का पुनर्गठन आवश्यक है।

अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार द्वारा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री हेमन्त कुमार सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश, श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत्त) को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है।

(सं०प्र04-ब01-01/2008-4666)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार,

सरकार के सचिव।

8 दिसम्बर 2020

जी०एस०आर० 02 दिनांक 11 फरवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(सं०प्र०4-ब०1-01 / 2008-4666)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार,

सरकार के सचिव ।

The 8 December 2020

G.S.R 02 Dated 11 February 2021-- Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section -9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (Act 7 of 1980).

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section -9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Hemant Kumar Srivastava (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retired) and Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, High Court, Patna with immediate effect and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

(सं०प्र०4-ब०1-01 / 2008-4666)

By order of the Governor of Bihar

Vinay Kumar,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 111-571+100-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>